40571/07

20 Rs.

82

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२०रू.

20 RS

TWENTY RUPEES

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 1.374 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग / कुआ / अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 3395000 / –रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत3395000 / –रूपये
9. स्टाम्प देय खसरा नंबर–808 मि0 व 810 मि0 व 807 की भूमि स्टाम्प मुक्त है खसरा नंबर–817 / 1 मि0 क्षेत्रफल 0.130 हैक्टेयर व 818 मि0 क्षेत्रफल 0.011 हैक्टेयर कुल 0.141 हेक्टेयर की मालियत 348000 / –'रूपये पर स्टाम्प 34800 / –रूप्ये का देय है पंजीकृत मुहायदा बै प्रलेख संख्या–619 दिनांक–15.1.2007 द्वारा 135000 / –रूपये स्टाम्प अदा किया जा चुका है जिसमें से देय स्टाम्प उक्त 34800 / –रूपये का स्टाम्प मुजरा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि 600000 / ––रूपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 क्रमांक पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

शेरसिह व शुक्ला पुत्रगण श्री किशनसिंह निवासीगण ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा

नि0 शेरसिंह नि0 शुक्ला

619/07

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16 ... के अंतर्गत ... प्रमाणित किया गया कि ... 34800 ... स्टाम्प शुल्क ... विक्रय विलेख 4057/07 के साथ समायोजित किया गया।

2/05/07

उप निबंधक मथुरा

विक्रय पत्र

3,395,000.00/ 3,395,000.00 5,000.00 20 5,020.00 1,000

प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री /श्रीमती .शेर सिह
पुत्र / पत्नी श्री किशन सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी जैंत मथुरा
अस्थायी पता जैंत मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/4/2007 समय 4:28PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मोर मुकुट शर्मा
उप निबन्धक
मथुरा
2/4/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती .शेर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री किशन सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैंत मथुरा

क्रेता
श्री/श्रीमती सनसिटी हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा कपिलदेव उपाध्याय
पुत्र/पत्नी श्री छैल बिहारी
पेशा व्यापार
निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

श्री/श्रीमती शुक्ला
पुत्र/पत्नी श्री किशन सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैंत मथुरा

20 Rs.

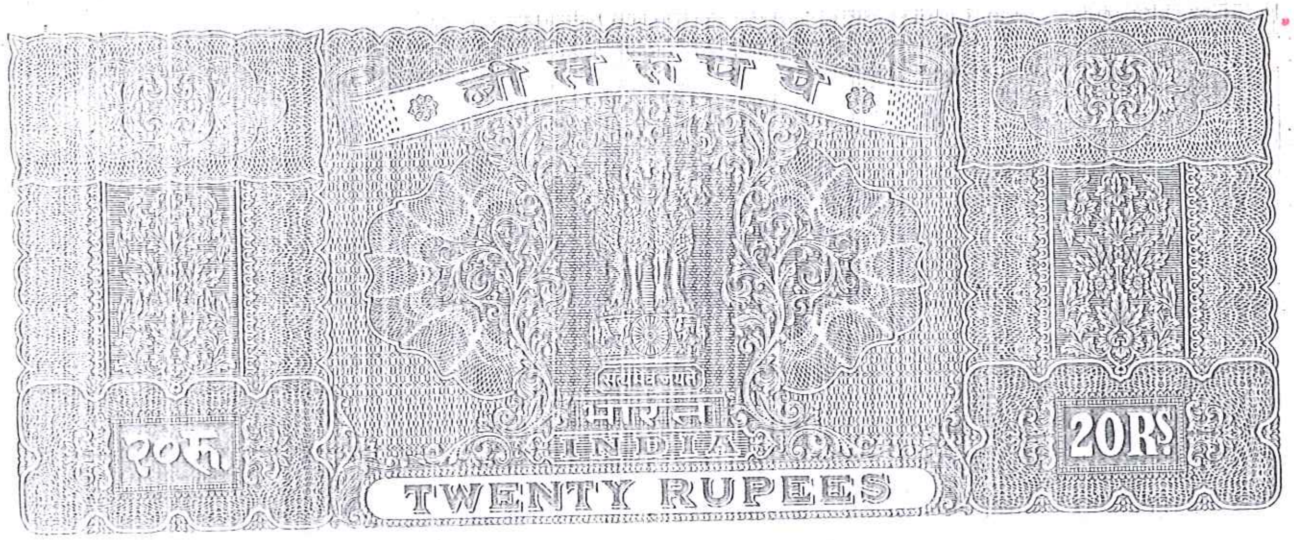

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

हम कि शेरसिह व शुक्ला पुत्रगण श्री किशनसिंह निवासीगण ग्राम जैंत, तहसील व जिला मथुरा के हैं।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या–1091 व गाटा संख्या–807 मि0 क्षेत्रफल 0.080 हैक्टेयर व गाटा संख्या–808 मि0 क्षेत्रफल 0.467 हैक्टेयर व गाटा नंबर–817/1 मि0 क्षेत्रफल 0.130 हैक्टेयर व 818 मि0 क्षेत्रफल 0.011 हैक्टेयर कुल 4 किता क्षेत्रफल 0.688 हैक्टेयर लगानी 16.53 रूपया व चक नंबर–1092 व गाटा संख्या–808 मि0 क्षेत्रफल 0.607 हैक्टेयर व 810 मि0 क्षेत्रफल 0.262 हेक्टेयर कुल दो किता क्षेत्रफल 0.686 हैक्टेयर लगानी 16.53 रूपया दोनों चकों का कुल क्षेत्रफल 1.374 हेक्टेयर स्थित ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विकेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री राधाकिशन

पुत्र श्री श्यामोला

पेशा कृषि

निवासी जैंत मथुरा

व श्री हरी सिंह

पुत्र श्री शेर सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैंत मथुरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मोर मुकुट शर्मा
उप निबन्धक
मथुरा
2/4/2007

20 Rs.

TWENTY RUPEES 20 RS

की देनदारियों से पूर्णतयाः मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीयं संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा बै अलावा केता के अन्य किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेतो के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि अपने सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विक्रेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 3395000/-तैतीस लाख पिच्यानवें हजार रूपये जिसके आधे 1697500/-सौलह लाख सत्तानवें हजार पांच सौ रूपये होते हैं। बहक **सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन-49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य का रूपया खरीदार से 850000/-रूपये ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स छटीकरा शाखा के दो चैक द्वारा उक्त पंजीकृत मुहायदा बै द्वारा पाया व 50000/-रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा पाया व 1247500/-रूपये चैक संख्या-389090 व 1247500/-रूपये

विक्रेता

Registration No 4051 Year : 2007 Book No. 1

0101 .शेर सिह

किशन सिंह

जैंत मथुरा

कृषि

0102 शुक्ला

किशन सिंह

जैंत मथुरा

कृषि

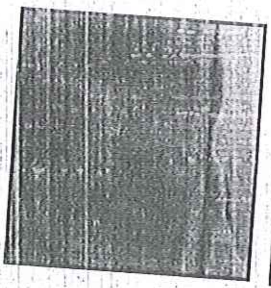

20 Rs.

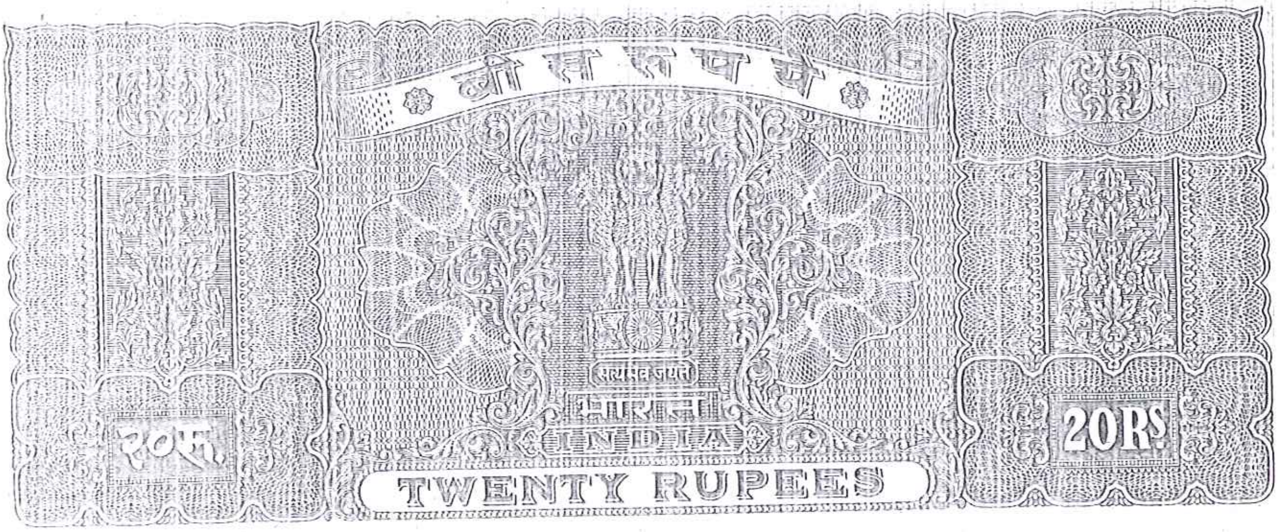

चैक संख्या–389091 दोनों चैक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स छटीकरा मथुरा शाखा के एकाउन्ट पेई दिनांक–2[illegible].4.2007 द्वारा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं0 6087/8आ–1–2003–04 दिनांक–22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5–2915/ग्यारह–2004–2004–600 (87)–2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5–3497/11–2005–500(83)–2005 दिनांक–9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है

23 MAR 2007

क्रेता

Registration No. 4051 Year : 2007 Book No. 1

0201 सनसिटी हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा कपिलदेव उपाध्याय
छैल विहारी
गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा
व्यापार

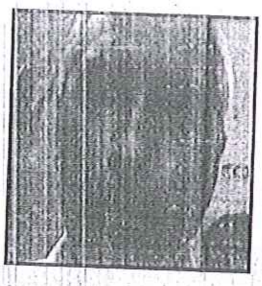

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं। विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक–2.4.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा
ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

आज दिनांक **02/04/2007** को

वही सं **1** जिल्द सं **4242**

पृष्ठ सं. **121** से **130** पर कमांक **4051**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मोर मुकुट शर्मा
उप निबन्धक
मथुरा
2/4/2007

[illegible]

[illegible] 366,69, 81, 82, 83, 388, [illegible]

[illegible]

[illegible] 1:205 [illegible] 1/2 [illegible]